ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर-नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नोएडा सिटी–201310, जिला–गौतमबुद्ध नगर
वेबसाईट–www.greaternoidaauthority.in, ई–मेल– authority@gnida.in

दिनांक–01.06.2021

प्रेस–विज्ञप्ति

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0 क्षेत्र की ईकाईयों हेतु भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में सूचनाः–

अवगत कराना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम को आगे बढाने की दिशा में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0 क्षेत्र में इकाईयों की स्थापना हेतु भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में समयबद्ध नीति अपनायी गयी है।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 प्रयोगार्थ आवंटन हेतु चिन्हित सैक्टरों में आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 की ईकाइयों की स्थापना हेतु निम्नवत् भूखण्ड रिक्त हैः–

क्र. सं	भूखण्ड संख्या	सैक्टर	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	भूखण्ड का क्षेत्रफल एकड में
1.	58	इकाटेक–1, एक्स.–1	20109.40	4.96
2.	59	"	21579.75	5.33
3.	60	"	20354.00	5.02
4.	61	"	20354.00	5.02
5.	62	"	20328.60	5.02
6.	73	"	20229.20	4.99
7.	74	"	20229.20	4.99
8.	83 & 84	"	40474.00	10.00
9.	15	नॉलेज पार्क–5	40430.71	9.99
10.	47	"	24224.16	5.98
11.	32	"	45458.26	11.23
12.	12	टेकजोन–2	113316.00	28.00

रिक्तियों की संख्या घट एवं बढ सकती है। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–06 उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1884/77–6–20–एल.सी. 32/15टीसी–2 दिनांक–20.07.2020, शासनादेश संख्याः–2062/77–6–20–एल.सी. 32/15टीसी–2, दिनांक–07.08.2020 एवं शासनादेश संख्याः–2800/77–6–20–एल.सी. 32/15टीसी–2 दिनांक–29.09.2020 के अनुपालन के क्रम में जिन ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड के ऊपर है अर्थात उ0प्र0शासन के द्वारा घोषित औद्योगिक

नीति–2017 के अन्तर्गत मेगा/मेगा प्लस/सुपरं मेगा श्रेणी में है तो वे अपना निवेश हेतु प्रस्ताव तथा भूमि आवंटन हेतु अनुरोध अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, INVEST UP, 12-C, Mall Avenue, Lucknow-226001 (U.P.) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष सीधे कर सकते है।

उ0प्र0शासन/INVEST UP द्वारा उनके निवेश का प्रस्ताव का Comfort Letter प्राधिकरण में प्राप्त होने पर तथा उनके द्वारा भू–आवंटन हेतु आवेदन करने पर 15 दिवस के अन्दर रिक्त भूखण्डों में से भूखण्ड का आवंटन निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे (Direct Allotment) योजना ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड प्रति एकड निवेश करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिन आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 ईकाईयों का कुल निवेश रू0 200 करोड से कम है वे भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन प्राधिकरण की बेबसाईट www. greater noidaauthority.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए निर्धारित शर्तों के अनुपालन करने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ब्रोशर में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। भूखण्ड पर रू0 7.00 करोड प्रति एकड निवेश करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दोनो श्रेणियों हेतु रिक्त भूखण्डों की सूचना ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण की आधिकारिक बेबसाईट www.greaternoidaauthority.in तथा GIS प्लेटफार्म पर दर्शित है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी)